ले.प.प्रति.सं.-35/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय,महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल** के माह **12/2015** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा ए. के. श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.10.2018 से **16.10.2018** तक सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री टी.एस.नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय , व० लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 11.12.2015 से 16.12.2015 तक श्री पुष्कर, व०लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2012 से 11/2015 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह **12/2015** से **09/2018** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- कीर्तिनगर

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नव्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	811.94	811.94	24.85	24.85	-	-
2016-17	-	-	822.11	822.11	31.39	31.39	-	-
2017-18	-	-	940.60	940.60	49.55	49.55	-	-
2018-19 (09/18)	-	-	964.12	357.63	48.47	24.32	-	630.64

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण शून्य हैः-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजिस्ट्रार कानूनगो
पेशकार
नायब नाजिर
राजस्व अहलमद/वरिष्ठ सहायक
फौजदारी अहलमद/कनिष्ठ सहायक
राजस्व लेखाकार
राजस्व निरीक्षक
राजस्व उप निरीक्षक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 03/2016, 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के क्रियान्वयन की कमी के परिणामस्वरूप राजकोष को रू 16.20 लाख की राजस्व हानि।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 140/xxxiv/2015/16/2008पार्ट-2 सूचना प्रद्धोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांक 21 मार्च 2015 के प्रस्तर 2 के अनुसार ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर निर्गत कम्यूटरीकत प्रमाण पत्रों एवं अन्य सेवाओं के लिए शुल्क रू 30 का निर्धारण किया गया है!

कर्यालय के ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया है कि कार्यालय उप जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत 1 जनवरी 2015 से दिनांक 12 अक्टूबर 2018 तक ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत पाँच तहसीलो में कुल 146931 प्रमाण पत्र बनाये गये। जिनमें से तहसीलो से 63087 प्रमाण पत्र जारी किये गये उनसे प्रति प्रमाण पत्र रू 30 की दर से शुल्क का भुगतान किया गया है। लेकिन सामुदायिक सेवा केन्द्रों द्वारा 83844 प्रमाण पत्र बनाये गये उनसे केवल 10.68 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 895454 प्राप्त किये गये इस प्रकार केन्द्रों द्वारा 30 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 2515320 शुल्क लिया जाना चाहिए, लेकिन इकाई द्वारा केवल 19.22 प्रति प्रमाण पत्र की दर से रू 1619866 कम शुल्क शासकीय खाते में जमा किया गया है। जिसके कारण विभाग को रू 16.20 लाख की राजस्व की हानि हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना शासन स्तर से संबन्धित है। इकाई का उत्तर तर्क संगत नही है। क्योंकि तहसील के क्षेत्राधिकार में संचालित समस्त कॉमन सर्विस सेन्टरों आवेदनो का क्षेत्र लेखपाल द्वारा पड़ताल करने बाद तहसीलदार प्रमाण-पत्र निर्गत करता है समस्त जांच एवं कार्य तहसील स्तर पर किया जाता है तो कॉमन सर्विस सेन्टरों का योगदान ना के ही बराबर है और प्राप्त होने वाले राजस्व का दुगना अशं उक्त सेन्टरों के संचालकों के खातों में चला जाता है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर:02- अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखना।
कार्यालय के अन्तर्गत तहसील टिहरी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खातों से सम्बंधित बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र पोषित, राज्य योजनाओं तथा अन्य के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, नई टिहरी में बैंक खाता संख्या-10840564411 एवं 30553886652 का संचालन किया जा रहा है। उक्त बैंक खाता तहसीलदार टिहरी के पदनाम से है। 11 अक्टूबर, 2018 को उक्त खातो मे क्रमश रू 41.00 लाख एवं 1.46 लाख की धनराशि जमा है।

इसी क्रम में तहसील नैनबाग में उक्त योजनाओं के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, नैनबाग में खाता संख्या-34413266256, का संचालन किया जा रहा है। उक्त बैंक खाता तहसीलदार नैनबाग के पदनाम से है। 11 अक्टूबर, 2018 को उक्त खाता में रू 5.86 लाख की धनराशि जमा है। इसी क्रम में तहसील धनौल्टी में उक्त योजनाओं के संचालन हेतु उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, धनौल्टी में खाता संख्या-76006417253, का संचालन किया जा रहा है। उक्त बैंक खाता तहसीलदार धनौल्टी के पदनाम से है। 11 अक्टूबर, 2018 को उक्त खाता में रू 17.70 लाख की धनराशि जमा है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि तहसील टिहरी के खाते मे उपलब्ध धनराशि रु.41.00 लाख मे से रु.8.57 लाख का भुगतान किया जाना है एवं रु.1.46 लाख कि धनराशि मानदेय से संबन्धित है जिसका भुगतान किया जाना है। यह धनराशि खाता खुलने के पश्चात से निरन्तर अवशेष मे है। तहसील नैनबाग तथा धनौल्टी के खाते से भुगतान सम्बन्धी विवरण प्राप्त कर सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अर्जित ब्याज एवं अनविज्ञ की धनराशि रू 55.99 लाख का बैंक खातों में अवरोधन का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो 'ब'</u>

<u>प्रस्तर:03-</u> राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम 'कृषि गणना' हेतु तहसील स्तर पर तैयार किये गये रूपपत्रों का सक्षम अधिकारियों द्वारा किया गया संदिग्धपूर्ण सत्यापन/निरीक्षण का प्रकरण।

राष्ट्रीय कार्यक्रम 'कृषि गणना' से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तहसील टिहरी में कार्यरत लेखपालों द्वारा उक्त योजना के अन्तर्गत तैयार करवायें गये अभिलेख जैसाः कि चिट्ठा, रूपपत्र एल-01, एल-02 एवं एच जिलाधिकारी कार्यलय को प्रेषित किये गये है परन्तु तहसील स्तर पर उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये गये। जिसके परिणास्वरूप यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि कितने रूपपत्र उच्चाधिकारियों के द्वारा सत्यापित करवाकर प्रेषित किये गये है। तहसील स्तर पर रूपपत्रों का रख-रखाव से सम्बंधित पंजिका उपलब्ध न होने के कारण लेखापरीक्षा में यह सत्यापन नहीं किया जा सका कि तहसील के अन्तर्गत- 247 ग्रामों में से कितने रूपपत्र एल-01,02 एवं एच का उपयोग किया गया है और कितने शेष है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि कृषि गणना से सम्बंधित रुपपत्र मुख्य राजस्व आयुक्त उत्तराखण्ड देहारादून को प्रेषित कर दिये गये है। इससे संबन्धित रूपपत्रो का सत्यापन तहसील स्तर पर उच्चाधिकारियों द्वारा सत्यापन कर ही भेजा जाता है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं क्योंकि उक्त राष्ट्रीय कृषि कार्यक्रम के उपयोगार्थ ऑकड़ों का उच्चधिकारियों द्वारा संदर्भित रूपपत्रों का किया गया सत्यापन/ निरीक्षण से सम्बंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नही करवाये गये। तहसील स्तर एक प्रारम्भिक/मुख्य स्तर है यदि प्रारम्भिक स्तर से ही वांछित ऑकड़ों का सम्बंधित सक्षम उच्चाधिकारियों को निर्धारित निरीक्षण प्रतिशतानुसार निरीक्षण नहीं किया गया हो तो उच्च स्तर द्वारा प्रकाशित ऑकड़ों की विश्वासनीयता संदिग्ध प्रतीत होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तर:04- ₹ 1,78,000 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन(विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-स0वि0नित-2-97 दिनांकः 19 मई,1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आवंटित है, वह उसका निजी उपयोग करें या न करें, उसके वेतन से प्रति माह(पेट्रोल कार के लिए रू 500 व जीप के लिए रू 400) की कटौती की जानी चाहिए तथा शासनादेश संख्याः 84/xxvii(7)50(6)/2017, दिनांकः 07 जून,2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया गया है कि उक्त के अन्तर्गत राजकोष में जमा किये जाने वाली उक्त धनराशि में या वेतन से कटौती में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 मई, 2017 से प्रत्येक वाहन हेतु रू 2000/ प्रतिमाह की राशि निश्चित कर दी गयी थी।

कार्यालय के बिल पंजिका एवं जी0वी0आर0 से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती निर्धारित दर से नही की गयी है एवं जो अधिकारी राजकीय वाहन का उपयोग कर रहे है उनके वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है। जिसका विवरण निम्नलिखित है।

अधिकारी का नाम/पदनाम	अवधि		माह x लम्बित धनराशि	कुल धनराशि
	कब से	कब तक		
श्री चतर सिंह चौहान, उपजिलाधिकारी	05/2017	09/2018	17× 1600	27,200
श्री भीम सिंह कठैत, नायब तहसीलदार	10/2017	09/2018	12× 2000	24,000
श्री जालम सिंह राणा,नायब तहसीलदार	08/2017	09/2018	14× 2000	28,000
श्री दयाल सिंह भण्डारी,नायब तहसीलदार	10/2017	09/2018	12× 2000	24,000
श्री सतीश कुमार, तहसीलदार	05/2017	06/2017	2× 1600	3,200
श्री जगत सिंह धनौला, नायब तहसीलदार	01/2017	09/2018	17 ×2000	34,000
श्री उपेन्द्र बहुगुणा, तहसीलदार	10 /2017	09/2018	12× 2000	24,000
श्री सुन्दर लाल लेखवार, नायब तहसीलदार	08 /2016 05/2017	04 /2017 09/2018	09× 400 5 ×2000	13,600
योग				1,78,000

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि इस सम्बंध में वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>STAN</u>

<u>प्रस्तर:01-</u> दैवीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 49.41 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण न किया जाना।

कार्यालय के अन्तर्गत दैवीय आपदा मोचन निधि से सम्बंधित उपलब्ध करायी गयी सूचनाओ के अवलोकन में तथा सम्बंधित अभिलेखो की जांच में पाया गया है कि तहसील टिहरी को उक्त निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 तक कुल रू.54.41 लाख उपलब्ध कराये गये थे। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष रू 49.41 लाख का तहसील द्वारा व्यय किया गया था। शेष धनराशि रू 5.00 लाख शासन को सम्बंधित वित्तीय वर्ष के अन्त तक वापस किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि भविष्य मे अनुपालन किया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
43/2015-16	शून्य	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
43/2015-16	भाग-दो ब प्रस्तर-1 पट्टे पर आवंटित 108-268 हे० भूमि का राजस्व आंकलन की स्थिति अस्पष्ट पाया जाना।	पट्टे आवंटित 108-268 हे० भूमि राजस्व आवंटन की भूमि अस्पष्ट पाये जाने के संबंध मे अंकित की गयी है। इस संबंध मे अवगत कराना है कि तहसील स्तर पर पट्टे मे आवंटित भूमि कि पंजिका तैयार कि गयी है जिसके तहत आवंटियों को 108-268 हे० भुमि जो आवंटित हुई है वह क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित हुई है किसी प्रकार से शासकीय प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित नहीं हुई है तथा किसी प्रकार से भूमि का अवैध प्रयोग नहीं हो रहा रहा है तहसील स्तर पर जो भूमि पट्टाधारको को आवंटित हुई है उनको भूमि का अभिलेख अध्यावधिक रूप से अंकन कर अभिलेखो का रख रखाव किया गया है भूमि पंजिका बनाई गयी है जिसका निरीक्षण ऑडिट (लेखा परीक्षा) के दौरान अवलोकन किया गया है।	सदर्भित आपत्ति में उल्लिखित पट्टे कि भूमि से संबन्धित अभिलेखो का रखरखाव कर दिया गया। अतः सलग्न साक्ष्यों के अधार पर उक्त आपत्ति को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	
43/2015-16	पूरक नमूना लेखा परीक्षा टिप्पणी(STAN) प्रस्तर 01 जुर्माना राशि रु.10000/- दस हजार रु. का शासकीय खाते मे जमा न हो पाना	उक्त धनराशि को चालान संख्या-0028 दिनांक 2 मई 2017 को संबन्धित धनराशि को जमा किया गया है।	सदर्भित आपत्ति में उल्लिखित धनराशि चालान द्वारा जमा कर दिया गया है। अतः सलग्न साक्ष्यों के अधार पर उक्त आपत्ति को निस्तारित करने की संस्तुति की जाती है।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः-शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमिततायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री बृजेश कुमार तिवारी	उपजिलाधिकारी	20.07.2015	09.06.2016
2	श्री लक्ष्मीराज चौहान	उपजिलाधिकारी	09.06.2016	21.07.2016
3	श्री कृष्ण कुमार मिश्रा	उपजिलाधिकारी	21.07.2016	30.07.2016
5	श्री चतर सिंह चौहान	उपजिलाधिकारी	30.07.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, **उपजिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र